FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ......अति. जिला कलक्टर......मुकाम......नीमकाथाना (सीकर)......

......सरकार......बनाम......नितेश शर्मा......

किस्म मुकदमा......FSS Act......नम्बर......11......वर्ष......2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2023	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री नितेश शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर शर्मा, निवासी पथवारी का मोहल्ला, नीमकाथाना जिला सीकर; मैसर्स श्री भवानी मार्केटिंग, पोस्ट ऑफिस के पास, नीमकाथाना सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.10.2022 को समय 03:30 पी.एम. पर नीमकाथाना सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स श्री भवानी मार्केटिंग, पोस्ट ऑफिस के पास, नीमकाथाना, में अप्रार्थी श्री नितेश शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकर आम जनता को खाद्य पदार्थ नमकीन(श्री भवानी) विक्रय करता हुआ मिला। अप्रार्थी को अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। नितेश शर्मा से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 की छायाप्रति पेश कि जो संलग्न किया गया। फर्म पर श्री नितेश शर्मा से पूछने पर उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। निरीक्षण के दौरान फर्म पर उपलब्ध 50 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 400 ग्राम नमकीन(श्री भवानी) पोली पैक्ड 400 ग्राम स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच 4 पोली पैक्ड थैली नमकीन(श्री भवानी) पोली पैक्ड 400 ग्राम क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 240 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ** पाया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना [illegible] एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन [illegible] प्रार्थी नम्बर एफ-3154 खाद्य पदार्थ नमकीन(श्री भवानी) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ** पाया गया। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ नमकीन(श्री भवानी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:07:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है. तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:07:37 IST
Reason: SelfAttested